Constitution of CIC duty 2015

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2496] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2015/अग्रहायण 2, 1937
No. 2496] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2015/AGRAHAYANA 2, 1937

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

का.आ 3150(अ).—वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का43) की धारा 9 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने अल्पसंख्यंक मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 1027(अ) तारीख 12 मई, 2011, जिसे अधिसूचना सं. का.आ. 2476(अ) तारीख 24 अक्तूबर, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था, द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त की थी ;

और केंद्रीय सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 12 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निबंधनों में अधिसूचना सं. 693(अ) तारीख 25 सितंबर, 2014 द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1998 के नियम 4 का संशोधन किया था और उसके उपनियम (1) के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद् की अवधि को कम करके तीन वर्ष कर दिया गया है ;

और केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय वक्फ परिषद् का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है और तदनुसार केंद्रीय सरकार अधिसूचना सं. 1027(अ) तारीख 12 मई, 2011 को सिवाय उन चीजों के जिनको ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है ।

[फा.सं. 8/1/2010-वक्फ]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2015

S.O. 3150(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 9 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Government of India in the Ministry of Minority Affairs had, vide notification number S.O.1027(E), dated the 12th May, 2011 as amended vide notification number S.O. 2476(E), dated 24th October, 2011, appointed the Chairperson and members of the Central Waqf Council;

And whereas, in terms of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 12 of the Waqf Act, 1995, the Central Government had, vide notification number G.S.R. 693(E), dated 25th September, 2014, amended rule 4 of the Central Waqf Council Rules, 1998 and the term of the Central Waqf Council under sub-rule (1) thereof, has been reduced to three years;

And whereas the Central Government has decided to reconstitute the Central Waqf Council and accordingly, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 1027(E), dated the 12th May, 2011, except as respective things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No.8/1/2010-Waqf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2497] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2015/अग्रहायण 2, 1937
No. 2497] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2015/AGRAHAYANA 2, 1937

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

का.आ. 3151(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1998 के नियम 4 के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना करती है और उसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है, अर्थात् :--

संघ के वक्फ प्रभारी मंत्री -- अध्यक्ष ;

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन नियुक्त सदस्य—

1. श्री मो. इरफान अहमद,

113-बी, अधचिनी, श्री अरविंदो मार्ग,

नई दिल्ली 110017 ;

2. श्री अब्बास अली बोहरा,

1109/3, 47वां क्रॉस, 5 ब्लॉक,

जयनगर, बैंगलोर 560078 ;

3. श्री रईस खान पठान,

28, अजीत रेजीडेंसी, अजीत मिल कंपाउंड,

रखियाल, अहमदाबाद ;

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन नियुक्त सदस्य—

4. श्री मो. इकरामुल्ला सिद्दीकी,

ग्राम एवं डाकघर बोजुर्गा, पीएस कोतवाली,

जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ;

5. डॉ. दराक्षण अंद्रावी,

433, प्रथम तल,

राज्यकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने,शास्त्री नगर, जम्मू 180084 ;

6. श्री मोहम्मद हामिद ,

406, सेवा सदन अपार्टमेंट्स,

गांधी बाग, सीए रोड,

नागपुर 440018 ;

7. डॉ. निजामुद्दीन मोहसिन,

मकान सं- 1, विश्वेशर नगर,

हुबली, कर्नाटक 580032 ;

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के अधीन नियुक्त सदस्य—

8. श्री मो. अली खान,

सांसद (राज्य सभा),

301, ब्रह्मपुत्र, बी.डी. मार्ग,

नई दिल्ली 110011 ;

9. श्री चौधरी महबूब अली कैसर,

सांसद (लोकसभा),

अशोक होटल, चाणक्यपुरी,

नई दिल्ली 110021 ;

IndiaCode

10. श्री मुजफ्फर हुसैन बेग,

सांसद (लोकसभा),

50, अशोक रोड,

नई दिल्ली -110001

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (iv) के अधीन नियुक्त सदस्य—

11. श्री मो. सलीम अशरफी,

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड,

सी 12, सेक्टर 3,

देवेंद्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) ;

12. श्री शौकत मुहम्मद खान

अध्यक्ष,

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड,

ताज परिसर, ताजुल मस्जिद के नजदीक,

रायल मार्केट के पीछे,

भोपाल 462001 (मध्य प्रदेश) ;

13. श्री ए.आई. सैयद,

अध्यक्ष,

गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड,

ब्लॉक नं .8, भूतल,

डॉ. जीवराज मेहता भवन,

गांधीनगर - 382020 (गुजरात) ;

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (v) के अधीन नियुक्त सदस्य—

14. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मोहम्मद शमीम,

ए-02, एमओडी अपार्टमेंट्स,

वसुंधरा एंक्लेव,

धर्मशिला कैंसर अस्पताल के पास,

नई दिल्ली ;

IndiaCode

15. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बरकत अली जैदी,

फ्लैट सं. ए 305,

बुलंद हाइट्स क्रॉसिंग रिपब्लिक,

राष्ट्रीय राजमार्ग 24,

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ;

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (vi) के अधीन नियुक्त सदस्य—

16. श्री नौशाद टी.ओ.

ताप्पेत्तली, वेनमणी,

डाकघर चेन्दन्नूर,

आलप्पुषा,

केरल 689509;

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (vii) के अधीन नियुक्त सदस्य --

17. रिक्त

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (viii) के अधीन नियुक्त सदस्य --

18. श्री दीवान सैयद जैनुल आवेदीन अली खान

हवेली दीवान साहेब दरगाह शरीफ,

अजमेर (राजस्थान) ;

19. अधिवक्ता सैयद एजाज अब्बास,

एफ.सं. 505/बी, एवरशाइन मीडोज,

राजे शाहजी नगर,

माहिम (ई), मुंबई - 17 (महाराष्ट्र) ;

20. श्रीमती एस मुन्नावरी बेगम

1/320, पुडिया पंजालियूर,

पेद्देथालापल्ली पोस्ट,

कृष्णागिरी 635002 (तमिलनाडु) ;

[फा. सं. 8/1/2015-वक्फ]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2015

S.O. 3151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 9 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995) read with rule 4 of the Central Waqf Council Rules, 1998 , the Central Government hereby establishes the Central Waqf Council and appoints thereto the following Chairperson and members, for a period of three years, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Union Minister in charge of Waqfs - Chairperson;

Members appointed under sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

1. Shri Mohd. Irfan Ahmed,
 113-B, Adchini, Sri Aurobindo Marg,
 New Delhi 110017;

2. Shri Abbas Ali Bohra,
 1109/3, 47th Cross, 5th Block,
 Jayanagar, Bangalore 560078;

3. Shri Rais Khan Pathan,
 28, Ajit Residency,Ajit Mill Compound,
 Rakhial, Ahmedabad;

IndiaCode

Members appointed under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

4. Shri Mohd. Ekramullah Siddiqui,
 Village & Post Office Bozurga, PS Kotwali,
 District Gazipur, Uttar Pradesh;

5. Dr. Darakshan Andrabi,
 433, First Floor,
 Opposite Govt. Girls Hr. Sec. School,
 Shastri Nagar, Jammu 180084;

6. Shri Mohammad Hamid,
 406, Sewa Sadan Apartments,
 Gandhi Bagh, CA Road,
 Nagpur-440018;

7. Dr. Nizamuddin Mohsin,
 House No. 1, Vishweshwar Nagar,
 Hubli, Karnataka 580032;

Members appointed under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

8. Shri Mohd. Ali Khan,
 Member of Parliament (Rajya Sabha),
 301, Brahmputra, B.D. Marg,
 New Delhi 110011;

9. Shri Chaudhary Mehboob Ali Kaiser,
Member of Parliament (Lok Sabha),
Ashok Hotel, Chanakyapuri,
New Delhi 110021;

10. Shri Muzaffar Hussain Baig,
Member of Parliament (Lok Sabha),
50, Ashoka Road,
New Delhi 110001;

Members appointed under sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

11. Shri Mohd. Salim Ashrafi,
Chairman,
Chhattisgarh State Waqf Board,
C 12, Sector 3,
Devendra Nagar, Raipur (Chhattisgarh);

12. Shri Shoukat Muhammad Khan,
Chairman,
Madhya Pradesh Waqf Board,
Taj Campus, Near Tajul Masajid,
Behind Royal Market,
Bhopal 462001 (Madhya Pradesh);

13. Shri A.I. Saiyed,
Chairman,
Gujarat State Waqf Board,
Block No.8, Ground Floor,
Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
Gandhinagar – 382020 (Gujarat);

Members appointed under sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

14. Justice (Retd.) Mohd. Shamim,
A-02, Mod Apartments,
Vasundhara Enclave,
Near Dharamshila Cancer Hospital
New Delhi;

15. Justice (Retd.) Barkat Ali Zaidi,
Flat No. A 305,
Bulland Heights Crossing Republic,
National Highway 24,
Ghaziabad, Uttar Pradesh;

Member appointed under sub-clause (vi) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

16. Shri Nausad T.O.
Thazhatheli, Venmoney,
Post Office Chendannor,
Alappuzha,
Kerala 689509;

IndiaCode

Members appointed under sub-clause (vii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 –

17. Vacant;

Members appointed under sub-clause (viii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

18. Shri Dewan Syed Zainul Abedin Ali Khan,
Haveli Dewan Saheb Daragah Shareef,
Ajmer (Rajasthan);

19. Advocate Syed Ezaz Abbas,
F.No.505/B, Evershine Meadows,
Raje Shahaji Nagar,
Mahim (E), Mumbai – 17 (Maharashtra);

20. Mrs. S. Munawari Begum,
1/320, Pudiya Panjaliyur,
Peddethalapalli Post,
Krishnagiri 635002 (Tamil Nadu);

IndiaCode

[F. No. 8/1/2015-Waqf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.